फर्द अहकाम

न्यायालय: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटपूतली

बनाम सत्यनारायण अतुल कोठ

/प्रार्थना पत्र संख्या-175/23 तमालत 144 सार्वजनिक

दिनांक आज्ञा / कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21.12.24	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश किया । जिस पर रिपोर्ट सरिश्ता प्राप्त की गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.1.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़	
3.1.24	पत्रावली आज प्रार्थी/वादी के पक्षमान के मध्य राजीनामा होने पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर तस्दीक की गई प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी एवं अधिवक्ता को सुना गया। उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र में वर्णित बिन्दुओं को स्वीकार किया तथा वादी प्रस्तुत में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है एवं प्रमाण में खारिज करने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी के प्रार्थना-पत्र एवं कथनानुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज रजिस्टर की जावे। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़	